न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 40/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री दुर्जय सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, मैसर्स होटल चितवन, आकाशवाणी केन्द्र के पास, जयपुर रोड़, गगवाना, जिला अजमेर।
2. मैसर्स होटल चितवन, आकाशवाणी केन्द्र के पास, जयपुर रोड़, गगवाना, जिला अजमेर।

.....अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : श्री मनोज मिश्रा, वकील अप्रार्थी की ओर से।

—: आदेश :—

दिनांक— 26.07.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि श्री प्रेमचंद शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 17.10.2015 को होटल चितवन, आकाशवाणी केन्द्र के पास जयपुर रोड़ गगवाना का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान होटल के किचन में पनीर रखा हुआ पाये जाने पर वास्ते जांच 800 ग्राम पनीर क्रय कर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् क्रयशुद्वा पनीर को वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार पनीर सबस्टेण्डर्ड पाये जाने पर परिवादी द्वारा यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) एवं धारा 51 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुए तथा उन्होंने जवाब नोटिस पेश करने हेतु समय चाहा। अप्रार्थी को जवाब नोटिस पेश करने हेतु काफी समय दिया गया, किन्तु समुचित समय दिये जाने के बावजूद न तो उनके द्वारा जवाब नोटिस पेश किया गया तथा न ही वे वरवक्त बहस उपस्थित हुए। तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अपने आदेश दिनांक 22.06.2017 से अप्रार्थी पर राशि रूपये 10000/— की शास्ति आरोपित की गई।

अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश से अंसतुष्ट होकर पुनः सुनवाई किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र एवं जवाब नोटिस पेश किया।

हमने वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी। विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उन पर लगाये गये समस्त आरोप निराधार है। अप्रार्थीगण पनीर का विक्रय नहीं करते है बल्कि ग्राहकों की मांग पर ब्राण्डेड कम्पनी से ताजा पनीर क्रय कर सब्जी के रूप में काम में लिया जाता है। प्रार्थी द्वारा नमूना जांच हेतु लिया गया पनीर भी अमूल डेयरी व अन्य डेयरी का ही प्रोडक्ट था। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि पनीर दुग्ध प्रोडक्ट है जिसमें फेट पशुओं के खानपान पर निर्भर करता है। अप्रार्थीगण पनीर बनाने

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

का कार्य नहीं करते है। बाजार में विक्रय हेतु अमूल डेयरी प्रोडक्ट पनीर जिसमें न्यूटेशन इन्फोर्म दी जाती है तो उसमें भी फैट लगभग 25 प्रतिशत अंकित होने के बावजूद भी यह नहीं कहा जा सकता कि पनीर सबस्टेण्डर्ड है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा जांच हेतु लिये गये पनीर के नमूने में विश्लेषण 23.32 प्रतिशत है जो दूध की फेट पर निर्भर करता है, जिसके लिए अप्रार्थीगण पर कोई भार अधिरोपित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि नमूने में ऐसा कोई हानिकारक पदार्थ नहीं है जिससे कि इसके उपयोग से स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः प्रार्थी द्वारा लगाये गये समस्त आरोप बेबुनियाद एवं आधारहीन होने के कारण अप्रार्थीगण को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

हमने वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वरवक्त निरीक्षण पनीर एक भगोनी में खुला रखा होना पाया गया था, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि उक्त पनीर अमूल डेयरी का प्रोडक्ट था। नमूना जांच हेतु लिया गया पनीर पैक्ड अवस्था में होता तथा अप्रार्थी द्वारा क्रयशुद्वा पनीर में बिल/मीमों प्रस्तुत किये गये होते तो निर्माता फर्म को पक्षकार बनाया जाकर उन पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में पनीर सब स्टेण्डर्ड पाये जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा जांच रिपोर्ट की प्रति रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थी को जरिये पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/11886 दिनांक 02.12.2015 से इस आशय के साथ भिजवाई गई थी कि यदि उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो उक्त नमूने की पुनः जांच हेतु पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कार्यालय में आवंटन करें। अप्रार्थी द्वारा नियत दिवस में कोई कार्यवाही नहीं की। उनके इस कृत्य से स्पष्ट है कि वे समस्त कार्यवाही से संतुष्ट थे। अब इस स्तर पर उन्हें दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त कथन विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाकर न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 22.06.2017 यथावत रखा जाता है। अप्रार्थी उन पर अधिरोपित राशि निर्धारित अवधि में राजकोष में जमा करावें।

आदेश आज दिनांक 22.06.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2017/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।
3– श्री दुर्जय सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, मैसर्स होटल चितवन, आकाशवाणी केन्द्र के पास, जयपुर रोड़, गगवाना, जिला अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner